

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/पी-94/2021/


दिनांक :

आदेश

उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक प.24 (46) चिस्वा./गुप-3/2010 दिनांक 13.12.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 17009/2019 रूही कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाड़ा बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.11.2019 की पालना में उक्त संस्था को याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन निर्देशानुसार सत्र 2019-20 में जीएनएम प्रशिक्षण हेतु निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में शामिल किया जाता है। उक्त संस्थान में छात्रों का प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा :-

क्र. सं.	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फैंडरेशन कोटे से
1.	उक्त निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित पत्रानुसार रूही कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	60	30	30


शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।


(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर
दिनांक : 6/7/21

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/पी-94/2021/511

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (गुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैंडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैंडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, भीलवाड़ा।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 में अपलोड करने का श्रम करे।
7. उप प्रबंधक (एसीपी) राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019-20 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर